(1400/PS/SJN)

1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत् हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1400 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री जितिन प्रसाद जी

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Speaker, Sir, with your kind permission, on behalf of my colleague, Shri Pankaj Chaudhary ji, I rise to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(1) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Report No. 1 of 2025) - Finance and Communication (Compliance Audit) for the year ended 31st March, 2023.

(2) Report of the Comptroller and Auditor General of India- Union Government (Report No. 2 of 2025) on Working of Mancheswar Carriage Repair Workshop in East Coast Railway and Construction of

5th and 6th line between Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT)-Kurla Station- (Compliance Audit-Railways) for the year ended March, 2023.

(3) Union Government-Appropriation Accounts (Postal Services) for the year 2023-2024.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सामान्य ड्यूटी संवर्ग (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 11 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 171(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI GEORGE KURIAN): Hon. Speaker, Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table:

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Fisheries Development Board, Hyderabad, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Fisheries Development Board, Hyderabad, for the year 2023-2024.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Speaker, Sir, with your kind permission, on behalf of my colleague, Shri Pabitra Margherita, I rise to lay on the Table:

(1) A copy of the Notification No. S.O.712(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 11th February, 2025, regarding reconstitution of the National Jute Board with effect from 29th September, 2024, for a period of two years, Chairman and Members

mentioned therein, issued under sub-section (1) of Section 3 of the National Jute Board Act, 2008.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Silk Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Silk Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2023-2024.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Cotton Textiles Export Promotion Council of India (TEXPROCIL), Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cotton Textiles Export Promotion Council of India (TEXPROCIL), Mumbai, for the year 2023-2024.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool Industry Export Promotion Council (WOOLTEXPRO), Mumbai, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wool Industry Export Promotion Council (WOOLTEXPRO), Mumbai, for the year 2023-2024.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH), New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH), New Delhi, for the year 2023-2024.

(9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति
5वां से 7वां प्रतिवेदन

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, मैं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) गृह मंत्रालय से संबंधित 'केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति के 32वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति (2024-25) का 5वां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के अंतर्गत 'अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न उपायों/स्कीमों का कार्यान्वयन' विषय के बारे में समिति (2024-25) का छठा प्रतिवेदन।

(3) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित 'भारत सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्रों के अधीन पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति का निर्धारण और क्रियान्वयन तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अधीन विभिन्न विभागों/संगठनों/संस्थाओं में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में समिति (2024-25) का 7वां प्रतिवेदन।

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
6th Report

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I rise to present the Sixth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on External Affairs (Eighteenth Lok Sabha) on the subject 'Indian Diaspora Overseas including NRIs, PIOs, OCIs and Migrant Workers: All Aspects of their Conditions and Welfare, including the status of the Emigration Bill'.

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से, मैं कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-2025) (मांग सं. 2) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

भारत की आकस्मिक निधि से निधियों का आहरण के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं 'पीएम-किसान योजना के अंतर्गत भारत की आकस्मिक निधि से निधियों का आहरण' के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा – उपस्थित नहीं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 3RD REPORT OF STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL – LAID

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Speaker, Sir, on behalf of Shri Bhupathi Raju Srinivasa Varma, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel on Demands for Grants (2024-2025) pertaining to the Ministry of Steel.

ध्यानाकर्षण
मछुआरा समुदाय के समक्ष आ रही कठिनाइयां

1405 hours

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर – 12.

श्री के. सी. वेणुगोपाल जी।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you very much, hon. Speaker, Sir, for giving me this opportunity.

Sir, I call the attention of the Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

"Hardships faced by fishermen community."

(1405/SPS/SMN)

पंचायती राज मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में निम्नलिखित बातों को सभा पटल पर रखता हूं :-

1. मात्स्यिकी क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र लगभग 30 मिलियन लोगों को आजीविका प्रदान करता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए आजीविका का स्रोत है, जो सीमांत समुदायों से हैं। इस क्षेत्र को 'सनराईज़ सैक्टर' के रूप में जाना जाता है और इसमें रणनीतिक हस्तक्षेपों (इंटरवेनशन्स), उत्पादन में वृद्धि, निर्यात, प्रौद्योगिकी को अपनाने और रोजगार सृजन के माध्यम से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
2. मात्स्यिकी क्षेत्र की विशाल क्षमता को पहचानते हुए भारत सरकार ने जून, 2019 में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी का एक अलग मंत्रालय बनाया। इसके अतिरिक्त, 2015 से, भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से 38,572 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
3. विभिन्न योजनाओं और नीतिगत पहलों के कारण मत्स्य उत्पादन और समुद्री खाद्य निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत का कुल मत्स्य उत्पादन 2013-14 में 95.79 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 184.02 लाख टन हो गया है और इसी अवधि के दौरान सी फूड एक्सपोर्ट 30,213 करोड़ रुपए से दोगुना होकर 60,523.89 करोड़ रुपए हो गया है।
4. फिशिंग हारबर (एफएच) और फिश लैडिंग सेंटर (एफएलसी) फिशिंग वेसल्स के लिए सुरक्षित लैंडिंग, बर्थिंग, लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान, भारत सरकार ने 9,735.89 करोड़ रुपए की कुल लागत से 67 फिशिंग हारबर (एफएच)

और 50 फिश लैंडिंग सेंटर (एफएलसी) के निर्माण/आधुनिकीकरण के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें केरल में 668.28 करोड़ रुपए की कुल लागत से 13 फिशिंग हारबर्स और उनकी ड्रेजिंग की परियोजनाएं शामिल हैं। इससे लगभग 48,000 फिशिंग वेसल्स की सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग सुनिश्चित होगी, जिससे 9 लाख मछुआरों और संबंधित हितधारकों को लाभ होगा।

5. मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाने वाली गतिविधियों में मछुआरों की आजीविका को मजबूत बनाने और उनके कल्याण के लिए सहायता शामिल है, जैसे ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम (जीएआईएस), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के लिए आजीविका और पोषण सहायता, वैकल्पिक/अतिरिक्त आजीविका गतिविधियों जैसे सी वीड कल्टीवेशन सहित समुद्री कृषि (मैरीकल्चर), ओपेन सी केज कल्चर, बिवाल्व कल्टीवेशन, ओरनामेन्टल फिशरीस, पारंपरिक मछुआरों के लिए नावें और जाल, वेस्सल कम्यूनिकेशन तथा सपोर्ट सिस्टम, डीप सी फिशिंग वेसल्स, फिशिंग वेसल्स का उन्नयन आदि। सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत मछुआरों और तटीय समुदायों को प्रदान की गई सहायता द्वारा तटीय मछुआरा समुदायों पर जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव कम होते हैं।

6. भारत के समुद्र तट में लगभग 3,477 तटीय मत्स्यन गाँव शामिल है, जिनमें मछुआरे आजीविका के मुख्य सोत के रूप में मात्स्यिकी पर निर्भर हैं। तटीय मछुआरों के कई गाँव तटीय कटाव (कोस्टल इरोशन), बाढ़ और चक्रवात जैसे जलवायु प्रभावों से ग्रस्त हैं, जो उनके दिन प्रतिदिन के जीवन और आजीविका को प्रभावित करते हैं। इन परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत भी एक पहल की है, जिसमें सभी 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए तट रेखा के करीब स्थित 100 कोस्टल फिशरमैन विल्लेजस (सीएफवी) को क्लाईमेट रेसीलिएन्ट कोस्टल फिशरमैन विल्लेजस (सीआरसीएफवी) के रूप में विकसित किया जाएगा। इन गांवों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ मछुआरा गाँव बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिश वित्त पोषण के साथ यह पहल की गई है।

7. केरल में विभिन्न प्रकार के समुद्री और अंतर्देशीय जलीय संसाधन मौजूद हैं और यहां मात्स्यिकी विकास की काफी अच्छी क्षमता है। पीएमएमएसवाई के तहत मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने केरल राज्य के लिए 1358.10 करोड़ रुपए के मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 12 फिशिंग हारबर्स का विकास और आधुनिकीकरण, वार्षिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान 1,79,316 मछुआरों को आजीविका सहायता, पारंपरिक मछुआरों को नावें और जाल (200 यूनिट्स), मछुआरों, मत्स्य किसानों और हितधारकों (7,930 संख्या) के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रम (179

संख्या), आर्टिफिशियल रीफ्स (42 यूनिट्स), मत्स्य सेवा केंद्र (10 यूनिट्स), सागर मित्र (222 संख्या) आदि शामिल हैं। इसके अलावा, केरल में 9 इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विल्लेजस और 6 क्लाईमेट रेसीलिएन्ट कोस्टल फिशरमैन विल्लेजस भी स्वीकृत किए गए हैं।

8. खान मंत्रालय, भारत सरकार ने ऑफशोर एरियास मिनरल एंड डेवलपमेन्ट एक्ट, 2002 पारित किया है, जो वर्ष 2010 में प्रभावी हुआ। ऑफशोर एरियास मिनरल (डेवलपमेन्ट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2002 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में पारिस्थितिकी संतुलन (इकोलोजिकल बैलेन्स), जैव-विविधता तथा मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। खान मंत्रालय ने सूचित किया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज और इंपोरटेंट कोस्टल एंड मरीन बायोडाइर्सिटी एरियाज (आईसीएमबीए) के रूप में अधिसूचित पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर ऑफशोर ब्लॉक बनाए गए हैं।

9. ऑफशोर एरिआज मिनरल (ऑक्शन) नियम 2024 के प्रावधानों के अनुसार, परिचालन अधिकार (ओपेरेशन्स राईट) के पहले, बोलीदाताओं को प्रोडक्शन ऑपरेशन्स शुरू करने संबंधी लागू कानूनों के तहत आवश्यक सभी सहमति, अनुमोदन, परमिट, अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है।

10. इसके अलावा, ऑफशोर एरिआज़ मिनरल कोन्सरवेशन एंड डेवलपमेन्ट रूल्स 2024 के प्रावधानों के अनुसार, प्रोडक्शन प्लान के अनुसार ही कोई भी प्रोडक्शन को ऑपरेट किया जा सकता है। मछुआरों और स्थानीय समुदायों की चिंताओं पर प्रोडकशन प्लान और पर्यावरण प्रबंधन योजना एनवायोरमेन्ट मेनेजमेंट प्लान (EMP) की तैयारी के दौरान विशेष रूप से विचार किया जाएगा, जिसे नियमों के तहत प्रत्येक पट्टेदार को एक्सप्लोरेशन या प्रोडक्शन प्लान शुरू करने से पहले प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

11. केरल तट के ऑफशोर सेंड ब्लॉक बेसलाइन से 12 नौटिकल माईल्स से अधिक दूर है और फिशिंग ग्राउंड्स की सुरक्षा और मछुआरों की आजीविका के पहलुओं से संबंधित मुद्दों को प्रोडकशन प्लान तैयार करते समय और पर्यावरण प्रबंधन योजना में उचित रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान को केरल के तट पर अपतटीय खनन गतिविधियों (ऑफ शोर माईनिंग एक्टिविटीस) के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए नामित किया गया है।

12. उपर्युक्त के आलोक में, यह देखा जा सकता है कि माननीय संसद सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों पर मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार द्वारा पहले से ही कार्रवाई की जा रही है।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): I rise here today, not just as the representative of the people but as a voice of the community that lives and dies by the sea. A community whose lives are deeply connected with the waves of the ocean. Their cries are often unheard by the roaring waves of indifference and neglect. I speak for our fishermen, the unsung heroes who go to unpredictable seas to bring food to our table but they live in the shadow of neglect.

Across the vast coast of Gujarat to Kanyakumari and Bengal to deep south and in the Andaman Island and Lakshadweep, they live everyday at the mercy of nature, stormy seas, harsh winds and uncertain times. They are the people who feed our nation but struggle to feed their own families.

Sir, in this country, there is only one job which does not have the guarantee of getting wages. Everyday fishermen go to sea for fishing – morning, evening, night, everytime, they go for fishing. Sometimes, they come with fishes and sometimes, they come with empty hands.

*(I am sad to say that this is the only job in India, and the whole world, for which the worker is not assured of wages after performing his duty. This is the job of a fisherman. We have discussed on many occasions in this House about the plight of freshermen community. Sir, none of the discussions in the past has helped to solve their problem. That is why, by this Calling Attention, I brought up this issue in this House.)

Sir, they do not seek riches or luxuries. All they ask for is dignity of life without fear, a life where their children can dream beyond the horizon. When I talk about the fishermen, my colleagues from Kerala will remember 2018 when the flood ravaged the God's own country, it was the fishermen who came with their boats. They reached every corner and they rescued thousands of people. They were the army; they were the angels but do we remember them now?

*(Once we described the fishermen as the 'Army of Kerala'. During the time of flood in Kerala, people were suffering and many of them were on the verge of death. These poor fishermen rescued the people using their own boats. They are the 'Army of Kerala'.)

---

* () Original in Malayalam

At that point of time, everybody called them the army of Kerala. But, are we remembering them now? This is a question. I need an answer to this question. India is one of the largest fish producing countries. Today, Morning also, hon. Minister replied to a Question. The sector provides food, nutrition, and livelihood to millions yet what do we give back to those people.

Sir, GDP numbers are very good. Our fishermen contributed in this booming industry – 1.24 per cent of Indian Gross Value Added and 7.28 per cent to agriculture GVA in 2018-19, with an average growth rate of 7.53 per cent in fish production. India's marine fisheries potential is immense. In the morning, you spoke about it.

Our Exclusive Economic Zone spans over 2.02 million square kilometres yet the wealth from this remains concentrated in a few hands while the true custodians of the sea, the fishermen, remain in chains of poverty. It breaks my heart to witness this painful irony.

(1410/SM/KDS)

Every time, I travel across the vast coastal stretches of my constituency, Alappuzha, I see men and women whose lips taste of salt, not the salt of the ocean, but the salt of tears, tears of hardship, tears of neglect. These are the tears of those who have given everything to the sea and received nothing but despair in return.

Sir, like coastal fishermen, inland fishermen are also present. Apart from the sea-going fishermen, we have a considerable number of inland fishermen. The inland fisheries activities are conducted across an extensive network of rivers and canals, 1.95 lakh kilometre floodplain lakes, 8.12 lakh hectare backwaters, ponds and tanks, reservoirs with an estimated fish production potential of about 17 million tonnes.

Currently, inland fisheries have emerged as a major contributor to the overall fish production in this country. Despite India being the second largest fish producer globally, the Government policies and priorities are misguided. The marine fishery sector is a unique and irreplaceable source of livelihood for millions, including our inland fishing communities. Yet, we lack even basic reliable data on the socio-economic conditions of our fishermen. How can we uplift the community when we cannot even measure their suffering?

We have institutions like the National Fisheries Development Board (NFBD) and the Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) producing extensive research on fish, spices, and marine resources. But where is the data on those who bring those resources to our shores? Where is the comprehensive national register of fishermen and their living standards? Are they not worthy of recognition, of being counted, of being seen?

Our coastal zones of India are among the most productive ecosystems in the world. Yet, there are existential threats from sea-level rise, coastal erosion, and flooding. The Government must answer a fundamental question: Who controls our coasts? Who is monopolising our marine wealth while the traditional custodians are pushed aside?

Hon. Speaker, it is alarming that one company operates a port or terminal in every 500 kilometres along India's 7,516-kilometre-long coastline. Only one company has the monopoly. The group now controls 14 ports and terminals, representing 27 per cent of India’s total port volume. Ports from Haldia in West Bengal to Vizhinjam in Kerala are under their control. What is the problem? In these areas, the total privatisation of these ports is now creating problems for the poor fishermen. Thousands of poor fishermen are being displaced; their livelihoods are snatched away and their futures are stolen.

Sir, I have already told you about inland fishermen. We have many rivers and backwaters. I think you have been there in my constituency. One of the most beautiful backwaters in the world is Vembanad Lake. It is called the gateway of backwaters.

माननीय अध्यक्ष : मुझे आप लेकर ही कब गए? मैंने तो देखा ही नहीं।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I am inviting you. Our Parliamentary Affairs Minister likes that. Vembanad Lake is one of the most beautiful lakes. But now-a-days, the poor fishermen are not in a position to fish there due to complete weed infestation and the area is also shrinking day by day.

Therefore, our water bodies have to be purified. Only then can proper fishing be done in that area. We need to clean our rivers and backwaters, remove the weeds, and bring life back to these waters. Our fishermen deserve a chance to live with dignity.

Now, I am coming to a major point, which I have brought to your notice earlier. The Government of India is going for offshore mining. The government speaks of the blue economy. Under the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Amendment Act, 2023, private companies will soon drill our sea beds, extracting crude oil, gas, and minerals.

(1415/RP/YSH)

What will be left for the fishermen; whose livelihoods are tied to these waters? I asked a question. Hon. Member, Hibi Eden asked a question in this Session only. The reply given by the Mining Minister is: “Before notifying the above blocks in offshore areas, the Central Government had consulted several key ministries, including Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the Department of Fisheries under Ministry of Fisheries.” This is a direct question to hon. Minister. Has the Fisheries Department done a study on the impact of this offshore mining? I have a data of the researches being done by our scientists. They belong to the Geological Survey of India, the National Institute of Ocean Technology, the National Institute of Oceanography, the National Centre for Polar and Ocean Research, the National Geophysical Research Institute; the Earth System, and other science organisations are the agencies involved. These people have not studied any impact on offshore mining. There are people who have done this study. I will tell you about those people. Their studies suggest that offshore sand mining is often poorly managed, leading to severe environmental, social and economic consequences. There is a knowledge gap in offshore sand mining management and sustainability and we need to conduct additional research to fill this gap.

According to FAO GLOBEFISH Research Programme, Vol. 122, 2016, the main expected impacts from seabed mining are: - changes in the seabed landscape by removing nodules from the seafloor, changes in the marine habitat that sustain different forms of life, sediment plumps, which will cause a reduction of oxygen and light in the water column and the introduction of metal into the water column, disruption of the seafloor and redistribution of sediments, causing some benthic ecosystems and creatures to be buried, very slow ecosystem recovery from the changes to the seafloor, and displacement of marine life.

Sir, our scientists are predicting such a serious impact on offshore mining. Our Department of Fisheries has already consented for this. For whom is this Fisheries Department working? Is this Department working for the mining people or the fishermen? My direct question to the Minister is this. Is he working for the mining companies or the poor fishermen of this country?

Sir, how can you allow this mining without a proper study? So, without a proper study they are doing mining. Hon. Member Mr. Premachandran has already raised this issue. In areas of Kollam and Alappuzha, which is my constituency, they have already done tenders. Now, they are going to do mining. Entire fishermen community is agitated. The Kerala Legislative Assembly has unanimously passed a Resolution. They have written to the hon. Minister in this regard, but, there is no action. The Government has to come forward. Yesterday, hon. LoP, Shri Rahul Gandhiji, has written to the Prime Minister to withdraw this mining activity. Somebody has to stop this mining. The Government has to come forward to stop the mining work and rescue the poor fishermen of this country.

We cannot allow these things to happen. You are not allowing even construction of houses for poor fishermen. When the fisherman is going to construct a house, you are saying that CRZ norms are there. They are not allowed to construct a small house. But, now, large-scale mining is going on in the sea, and there is no problem. There is no environmental impact study. Nothing is there. Now, the Government is saying: “If somebody took a tender, the tender company has to do environmental impact study.” What is it? It is like letting the fox guard the hen house. This is what is happening here. The company has to do environmental impact study. (1420/SNT/RAJ)

Basically, this is ridiculous. This reckless pursuit of profit is robbing our fishermen of their heritage, their dignity, and their means of survival. Our coastal communities, environmentalists, and marine scientists are united in protest, as are the majority of the political parties. Then why is the Government of India doing all these things?

My submission to the Minister of Fisheries is this. You are a senior leader of the ruling party. Please tell the Prime Minister to at least stop this mining process. I have already talked about the housing issue and CRZ norms. Some amendments have been made, but they are not sufficient. The poor fishermen do not have the means to construct their dwelling houses. The Government must come forward with a clear-cut, flexible idea on CRZ. The major point of sea erosion has already been raised.

Sir, this is shocking. Seventy per cent of the world's beaches are vanishing in India. The ocean waves and currents are eating away our shores. In undeveloped areas, erosion comes and goes, but in developed areas, it is a disaster. A study by the National Centre for Coastal Research shows that Kerala is one of the worst-hit States. More than 46 per cent of Kerala's coast eroded due to sea erosion. The coasts are not just land; they are our borders and are as important as our northern and western boundaries. The sea brings dangers such as terrorism, trafficking, and drug smuggling. However, erosion is a threat too. It is taking away land and destroying the lives of fishermen and coastal communities. These are the same people who risk their lives in floods to save others. Now we turn away as the sea destroys their homes.

Sir, I would like to make one more point about subsidised kerosene. Kerala alone has 1.95 lakh fishermen who go out to sea every day. The sea is their life. It gives a living to 8.04 lakh fisherfolk. Those traditional fishermen use small boats with outboard motors that run on kerosene. There are around 30,000 such boats in Kerala, but the kerosene they need is just not there. Kerala fishermen require 51,000 kilolitres of kerosene every year. However, the Central Government keeps cutting the quota. In 2021, Kerala received only 11,640 kilolitres. In 2023, it was only 7,160 kilolitres. For 2023-24, it is just 3,300 kilolitres. This year, it is shocking at only 648 kilolitres. This is nothing other than cruelty. Therefore, subsidized kerosene must be increased. Since they are not getting sufficient kerosene, they have to depend on loans. Now, the entire fishing community is in a debt trap and is in a suicidal mood.

*(A situation in which it is difficult to live, kerosene oil is not available for them. If they go to the sea, they do not get fishes. As a last resort if they take loan from banks and these banks torture these fishermen to get repayment. Only the fisher community faces such an atrocity. No one is here is to help them. Offshore mining will affect the entire environment. No one is ready to listen to the fisher community. We have raised this Calling Attention to remind the Government that they must listen to the problem of the fishing community.)

I would request the hon. Minister to look into this issue. You have given a statement that covers some issues. But what are you doing specifically for fishermen's housing, their drinking water, and their debt? Nothing has been covered. Please think about the poor fishermen of this country.

Thank you very much, Sir.

---

* () Original in Malayalam

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. आर. बालू जी, आपको केवल प्रश्न पूछना है। आप सीनियर लीडर हैं।

… (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): I understand, Sir. I will be very short. Kindly give me a few minutes.

With a heavy heart, I would like to call the attention of the hon. Minister for Fisheries to the sad plight of Indian fishermen, especially those from Tamil Nadu, who are subjected to hardship at the hands of Sri Lankan security forces day in and day out. Every day, the Government of Tamil Nadu is writing to the Central Government to intervene and ensure that proper action is taken, or the Government of Sri Lanka should be advised properly so that things may not go wrong.

(1425/AK/SK)

Sir, sometime back I made an observation, and on 18th February the hon. Minister for External Affairs, Dr. S. Jaishankar wrote to me. This is also a subject matter that is connected with two Ministries. He wrote and I quote:

> "…Prime Minister during the State visit of President Anura Kumara Disanayaka on 15-17 December, 2024 urged President Disanayaka to treat the fishermen issue as a humanitarian one with livelihood concerns, as well as to avoid use of force under all circumstances. Further, I raised the issue of frequent arrests, longer sentences and penalties levied on Indian fishermen with the Sri Lankan President as well. In addition, we have requested President Disanayaka for the early release and repatriation of detained Indian fishermen and boats, and convening of next round of fishermen-level talks".

The ground reality is different. Yesterday, I had a discussion with the President of the Fishermen Association of Rameswaram. He categorically said that the Minister is saying something, but on the ground things are different. Each and every day, the security forces are coming and are arresting them. They are not only arresting the fishermen, but also taking their boats. They are taking away everything to their destination. Finally, the fishermen are arrested.

For your information, 20 fishermen are in jail for the past six months. What sin have they done? It is for more than six months that they are languishing in jail, and more than 70 fishermen -- in and out of Rameswaram, Pudukkottai and elsewhere -- are in various jails for inquiry. They are being kept there for inquiry.

Sir, I would not take much time. Actually, the fishermen of that area who are going to earn their daily bread are being harassed. A small country that is having friendly connections with India is just making a lot of nuisance for our fishermen. This is not fair. My only request is this. It seems that the hon. Prime Minister is likely to go to Sri Lanka shortly. I do not know the exact date, etc., but during discussions with President Dissanayake there should be a discussion about it and finally they should have a lasting peace agreement with all the stake holders, especially with the fishermen of Sri Lanka and Tamil Nadu, India. Further, representatives of both the Governments should take immediate action. Otherwise, things will go wrong. Thank you, Sir.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, hon. Speaker, Sir. This may be the first Calling Attention during this Budget Session. We are thankful to the hon. Speaker for allowing such an important issue, and I would also thank hon. learned friend, Shri K. C. Venugopal for calling the attention of the hon. Minister regarding the fisheries issue.

I am not going to repeat the issues which have already been enlisted by my learned friend, Shri K. C. Venugopal. There are no words to explain the pathetic condition of the fishermen in the coastal areas. It is just like that of the tribal people in the mountain areas.

Fishing is the only main source of income of the fishermen, but due to unsustainable fishing practices and depleting fishing stocks, it is impacting the livelihoods of the fishermen and health of the marine ecosystem. Rising sea temperatures, changing ocean currents and increased storm activity can disrupt the fishing grounds and threaten fish population, and pollution from industrial and agricultural sources can contaminate fish population and make them unsafe for consumption. The quantity of abundant fish wealth has declined like anything throughout the country after the tsunami and Ockhi disasters hit the State of Kerala.

(1430/UB/KN)

In such a situation, the UPA regime had passed a very revolutionary law – the Right to Forest Act – giving tribal people the right to enjoy benefits of the forest. I would like to seek a clarification from the hon. Minister on whether the Government of India is thinking of bringing the Right to Sea Act in order to protect the interests of the fishermen in the country.

माननीय अध्यक्ष : आप तो रूल्स के जानकार हैं। इसमें केवल स्पष्टीकरण ही मांग सकते हैं।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, he has rightly explained everything regarding Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act which was passed in the year 2023. There is deep sand mining in the offshore. Parappur and Alappuzha in my constituency have 85 kms of length. Now, the tender has been invited to start the sand mining.

There is no doubt that the marine ecosystem will be disrupted severely and it will be adversely affecting the coastal fishermen at large. There is an agitation going on in the State of Kerala. Even yesterday, the Leader of the Opposition rightly pointed that that it will be adversely affecting the interests of the coastal fishermen.

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात खत्म कर लीजिए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, would the Government reconsider and recall the tender? It should not be done without conducting the environmental impact assessment.

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर जी।

मेरा सदस्यों से आग्रह है कि इसमें केवल एक-एक प्रश्न पूछ लें। इसमें आप लम्बा भाषण न करें।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I have five clarifications to seek from the hon. Minister because these are the issues that I have been raising for 15 years in this House without a satisfactory response. I will be very brief on each of them.

माननीय अध्यक्ष : आप 15 साल से मुद्दा उठा रहे हैं। क्या आपका मुद्दा दूसरों ने ले लिया है?

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, the first issue is regarding coastal erosion which affects my constituency gravely. Ferocious monsoons have been devastating our coastline, destroying homes and livelihoods, and the fisher folk are suffering terribly because of lack of adequate seawalls and groins. This issue was raised this morning by my colleague, Hibi

Eden ji. The hon. Minister's reply put the entire onus on the State Government. The State Government says they do not have the resources. भारत माता की धरती जा रही है। यह समुद्र से जो आक्रमण हो रहा है, हमारी धरती जा रही है। मेरी कॉन्स्टीट्यूएंसी में 64 स्क्वेयर किलोमीटर चली गई है। उसमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई रिस्पोंसबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है? I would like to request the hon. Minister to assume the responsibility for protecting Indian territory.

The second issue is regarding lack of fishing harbours. You have talked about the PMMSY supporting 100 coastal villages, but the coastal villages are not enough. They need harbours. In my constituency, we have 28 per cent of Kerala's fishermen, and they have absolutely no harbours other than one major port that is now coming up. Hundreds of fishermen are literally unable to make a living. They have long-standing demands for fishing harbours in places like Poonthura and Valiyathura but no action has been taken. We would appreciate some clarification from the hon. Minister.

Sir, the third issue is regarding kerosene shortage. This issue has been raised by many hon. Members.

माननीय अध्यक्ष : जो विषय एक बार उठ गये हैं, उनको दोबारा क्यों उठा रहे हैं?

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम) : सर, मेरे पाँच प्रश्न हैं। Once again, the Government says it would like to encourage our fishing people to shift to cleaner fuels like LPG, PNG and so on, but they do not have engines. These are poor people. They have kerosene-fuelled engines on their traditional fishing craft. If they cannot give subsidised kerosene, can they subsidise new engines to use the fuel the Government wants them to use? That clarification should be given.

माननीय अध्यक्ष : यह मुद्दा उठा दिया है।

… (<u>व्यवधान</u>)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, please give me one second. I had asked a question last month to which I got a reply from the hon. Minister. The reply from the hon. Minister says very clearly that they have not conducted an environmental impact assessment on offshore mining. When can that be done?

And finally, I have also raised in this House the issue of persistent illegal fishing practices such as bull trawling and bear trawling in the waters of Kerala. We have asked the Government in this House to actually engage the Coast Guard and the Navy to protect our fisherfolk and their livelihood. Again, will the

Government, in the clarification, let us know what they are doing about this? These issues have been raised in the House earlier.

(1435/GM/VB)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Hon. Speaker Sir, thank you for this great opportunity. I would like to congratulate the senior Member Shri K.C. Venugopal for this Calling Attention which I wholeheartedly support because this is a very important matter. Sir, I have a specific question to the hon. Minister. We have state-of-the-art institutions in India like the Central Marine Fisheries Research Institute, CIFT, CIFNET, KUFOS, CSIR and many other organizations related to scientific study of the ocean and the marine-related activities. Does any of these organizations have done a scientific study on offshore mining and its environmental impact? How can the Government of India give the tender of the environmental impact study to the same company which does the offshore mining? It is disastrous. I would like you to intervene in this matter.

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Hon. Speaker Sir, I fully associate with the opinion expressed by hon. Shri K.C. Venugopal and other Members. I have one question also. The coastal wealth faces frequent climate disruption like cyclone and extreme weather. Does the Government of India have any large-scale climate resilience? Has the Central Government conducted any studies in mitigating its impact? Considering the success of the geotube offshore breakwater project in some places in Kerala shores, will the Central Government investigate and expand this innovative mode to other coastal regions with provision of adequate fund?

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र में तुरहा ताल है। मैदानी क्षेत्रों में जितने ताल और नदियाँ हैं, वहाँ की दूसरी समस्याएं हैं। मुछआरों के नाम पर नाव भी नहीं होती है। बड़े-बड़े ठेकेदार एक मछुआरे को पकड़ते हैं और पोखरों से मछली मारने के लिए नावों के ठेके ले लेते हैं। मछुआरों के नाम से नाव और जाल नहीं होते हैं। वे केवल मजदूरी पर रख लिये जाते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से, सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि कम से कम मछुआरों को नाव, जाल और ठेके इस तरह से दिये जाएं ताकि वे स्वावलंबी हो सकें।

यह नियम है कि मछुआरे नदियों, तालाबों और पोखरों के किनारे मछलियाँ पकड़ते हैं और वहीं पर मंड़ई बनाकर रहते हैं। मत्स्यपालन विभाग के द्वारा यह व्यवस्था भी है कि उन मछुआरों के घर बनाये जाएंगे। लेकिन अभी तक उन मछुआरों के लिए कोई घर भी नहीं बना है, मैं यह सरकार से कहना चाहता हूँ।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Hon. Speaker Sir, I would like to get a clarification from the hon. Minister. Over 200 boats have been taken away by the Sri Lankan Navy and it is being nationalized by the Sri Lankan Government. Will the Fisheries Department or the Government of India give some compensation to these fishermen who have lost their boats? Earlier, it was done, Sir. I want to know whether they will give compensation because the Tamil Nadu Government is giving it.

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुम्बई बंदर में कोंकण का 720 किलोमीटर का किनारा है। वहाँ के मछुआरे यहाँ पर अपना काम करते हैं। उनको दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली समस्या यह है कि उनको किरोसीन नहीं मिलता है। उनको केरोसीन और डीजल दोनों की आवश्यकता पड़ती है। उनको डीजल भी सब्सिडी पर मिलनी चाहिए, जो नहीं मिलती है। उसके बाद फिशरमेन और तकलीफ में आते हैं।

दूसरी बात यह है कि हवा में जब बदलाव होता है, लाल झण्डा जब समय पर फहराया जाता है, तब वे शिपिंग के लिए जाते हैं। इसलिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। ये दो काम महत्वपूर्ण हैं।

मुम्बई पोर्ट अथॉरिटी जो कुछ डेवलपमेंट करती है, अगर वह मछुआरों को विश्वास में लेकर करे, तो इससे उनको सहायता होगी।

धन्यवाद।

(1440/RV/SRG)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने कई बातों की चर्चा की है। उसमें से एक बात यह है कि जो लगभग 30 मिलियन मछुआरे भाई हैं, वे गरीब हैं, वास्तव में वे गरीब हैं, उनके प्रति सरकार का इनडिफरेंस और नेग्लेक्ट है। यह बात सही नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार ने ही उनकी गरीबी पर ध्यान दिया और उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाईं। आज उसका परिणाम है कि हमारा मत्स्य उत्पादन पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है।

आपने भी इस देश में वर्षों तक शासन किया, आपने वर्ष 2013 तक शासन किया। वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री मोदी जी आए। आपके समय में तो मछुआरे भाई भुखमरी की कगार पर थे।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आज हम यह बताएंगे, माननीय सदस्य को भी यह बताएंगे कि प्रधान मंत्री जी ने क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए, जिसके कारण आज मछुआरे समुदाय के लोग सुखमय जीवन जी रहे हैं और कुछ हद तक उनकी कठिनाई दूर हुई है।... (व्यवधान)

वेणुगोपाल जी, जब हम आपको आईना दिखा रहे हैं, तो अपना चेहरा देखकर आपको क्यों चिढ़ हो रही है? आप अपना तो चेहरा देखिए कि आपने क्या किया है।

अध्यक्ष महोदय, अभी ये ऑफशोर माइनिंग की बात कर रहे थे, पहले हम उसी का जवाब दे देते हैं। इस देश में पहले ऑफशोर माइनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सबसे पहले ऑफशोर माइनिंग

का अगर किसी ने कॉन्सेप्ट लाया तो उसे यूपीए सरकार ने लाया और इस सदन में ऑफशोर एरियाज़ मिनरल (डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, 2002 पास कराया और इसके बाद यह हुआ है।... (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : वर्ष 2002 में कौन था?... (व्यवधान) वर्ष 2002 में यूपीए नहीं था, वर्ष 2002 में वाजपेयी जी थे।... (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : माननीय सदस्य, आप पूरी बात तो सुनिए, आपको हम पूरी बात बता रहे हैं।... (व्यवधान) आप पूरी बात कहां सुन रहे हैं?... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद वर्ष 2010 में इन्होंने रूल्स बनाए। आज तक कोई ऑफशोर माइनिंग केरल में या किसी समुद्री तट पर प्रारम्भ ही नहीं हुआ है। फिर उसके प्रभाव या कुप्रभाव का सवाल ही कहां है? यह कहीं नहीं हुआ है।

महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि नवम्बर, 2024 में 13 ब्लॉक्स के लिए एन.आई.टी. जारी हुए हैं और उसमें मात्र 3 ब्लॉक्स हैं, जो केरल के हैं और वे भी 12 नॉटिकल माइल्स से बाहर के हैं, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में आता है। फिर आप कहां से ऑफशोर माइनिंग की बात कर रहे हैं? आज तक तो ऑफशोर माइनिंग प्रारम्भ ही नहीं हुई है और आप कह रहे हैं कि उसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, सारे लोग यह कह रहे हैं। यह पूरा मामला खनन मंत्रालय से संबंधित है। हमने खनन मंत्रालय से जो सूचना प्राप्त की है, उसके आधार पर हम इनको बता रहे हैं।

महोदय, हम इनको बताना चाहते हैं कि ये जो मछुआरे समाज के प्रति इनडिफरेंस और नेग्लेक्ट की बात कर रहे थे, तो हम इन्हें बताना चाहते हैं कि वर्ष 2014 के बाद जब प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सत्ता संभाली, तो हर क्षेत्र पर, हर क्षेत्र के लोगों पर उन्होंने ध्यान दिया। उनकी यह सोच रही है कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो समाज के हर तबके को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए उन्होंने फिशरीज सेक्टर पर ध्यान दिया। उन्होंने वर्ष 2019 में इस विभाग को अलग किया। उसके पहले उन्होंने 'ब्लू रिवॉल्यूशन' के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों और मछुआरे भाइयों के कल्याण की योजना की शुरुआत की। वर्ष 2019 में उन्होंने फिशरीज डिपार्टमेंट को अलग किया, ताकि उस पर ध्यान केन्द्रित करके उस क्षेत्र में काम किया जा सके। उसके बाद उन्होंने प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना चलायी। इन सबके बाद उन्होंने फिशरीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफ.आई.डी.एफ.) बनाया, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और भी योगदान किया जा सके। यह उनका प्रयास रहा। इसके कारण पूरे देश में आज बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना का विकास हुआ।

(1445/GG/RCP)

अभी शशि थरूर साहब बोल रहे थे। शशि थरूर साहब मुझसे भी मिले थे। उनकी समस्या के साथ मुझको सहानुभूति है। मैंने उनको बताया भी है कि आपकी समस्या के साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन उसका रास्ता है कि राज्य सरकार से रिश्ता थोड़ा ठीक कर लीजिए, तो आपका बाकी सब कल्याण हो जाएगा। ... (व्यवधान) अब उनके पास पैसे नहीं है। थरूर साहब, आपको देने के लिए नहीं हैं। आप थोड़ा रिश्ता सुधार लीजिएगा तो आपका पैसा भी निकल आएगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ये तो अपोज़िशन में हैं, रिश्ता क्यों सुधारेंगे।

… (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव के कारण पूरे कोस्टल इलाके में फिशिंग हार्बर्स और लैंडिंग सेंटर्स का विस्तार हुआ। वैसल के लिए सुरक्षित बर्थिंग बनाई गई। लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा के लिए सारे प्रयास किए गए। उसका परिणाम है कि हमने बताया कि एफआईडीएफ के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर का और डेवल्पमेंट हुआ। वे केरल की बात कर रहे हैं। हम केरल की भी बात बता देते हैं कि 1359.10 करोड़ रुपये की योजना केरल राज्य के लिए भी स्वीकृत हुई। इसलिए कि मोदी सरकार का यह मानना है कि किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। सबके लिए समान रूप से विचार करना है। सबका उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा। तब विकसित देश का निर्माण होगा। केरल में 12 फिशिंग हार्बर्स का विस्तार हुआ, मॉर्डनाइज़ेशन हुआ। एक लाख 69 हज़ार 316 मछुआरा भाइयों को प्रतिबंध की अवधि में सहायता प्रदान की गई। वहां के मछुआरा भाइयों को नाव दी गई, गरीब लोगों को जाल दिया गया। कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम चला कर उनमें कौशल विकास और क्षमता निर्माण कराया गया। आर्टिफिशल रिब्स का निर्माण हुआ। मत्स्य सेवा केंद्र का वहां गठन हुआ। 996 मॉर्डन कोस्टल फिशिंग विलेजिस हैं। वे चर्चा कर रहे थे पीने के पानी की, सारी सुविधाओं की, उन सारी सुविधाओं का वहां प्रावधान किया गया है। क्लाइमेट रेज़िलेंट विलेजिस का निर्माण भी केरल में स्वीकृत किया गया है। नेशनल फिशरी डेवल्पमेंट बोर्ड को उसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है। मछुआरा भाइयों की सारी समस्याओं के समाधान के लिए मोदी जी की सरकार चिंतित है। उसके अलावा मोदी जी सरकार ने मछुआरा भाइयों के लिए सोशल और इकोनॉमिकल तथा उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान देने का काम मोदी सरकार ने किया है। ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम किसने चलाई? ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम मोदी जी की सोच का परिणाम है कि जब मछुआरा भाइयों की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो पांच लाख रुपये दिए जाते हैं। अगर गंभीर रूप से घायल है तो ढाई लाख रुपये और कम घायल हैं तो 25 हज़ार रुपये की सहायता उनको ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम से दी जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड किसकी योजना है? प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है। किसके उत्थान के लिए है? उन मछुआरा भाइयों के उत्थान के लिए है। वीड कल्टीवेशन किसकी सोच है? इस सरकार की सोच है। मैरिकल्चर, उनकी आर्थिक उन्नत के लिए है। ओपनसी केज कल्चर, ऑर्नामेंटल फिशरीज़ को बढ़ाया गया, ताकि उनकी आमदनी बढ़े। परंपरिक मछुआरों के लिए नाव और जाल की व्यवस्था की गई। डीप सी वैसल्स के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया। फिशिंग वैसल्स का अपग्रेडेशन हुआ। ट्रांस्पोंडर, जिसकी चर्चा बालू साहब कर रहे थे और कई साथी कर रहे थे कि हमारे फिशरमैन फिशिंग करते हुए बॉर्डर पार कर जाते हैं।

(1450/MY/PS)

हमारे फिशरमैन फिशिंग करते हुए बॉर्डर पार कर जाते हैं। महाराष्ट्र के पालघर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रांसपॉन्डर को लॉन्च किया। ट्रांसपॉन्डर एक ऐसा हथियार है, जो हमारे मछुआरे भाइयों को मदद करता है। हमारे मछुआरे भाई हमारे देश की सीमा को जैसे ही क्रॉस करेंगे, उनको

यह ट्रांसपॉन्डर सिंग्नल देगा कि आप देश की सीमा क्रॉस कर रहे हैं। यह सेटेलाइट से जुड़ा हुआ है। इसे किसी भी एन्ड्रॉइड फोन से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके माध्यम से उनको सूचना मिलेगी। ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से उनको समुद्री तूफान की सूचना मिलेगी। ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से उनको यह जानकारी भी मिलेगी कि कौन से इलाके में आपका कैच ज्यादा संख्या में उपलब्ध है। वहां आप फिशिंग करने का काम कीजिए। इससे उनका डीजल बचेगा, उनका किरोसीन बचेगा, उनको मेहनत कम करना पड़ेगा और कैच उपलबध होगा। वे इस ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से अपने परिवार के साथ जुड़े रहेंगे। वे वेसल्स के मालिक के साथ जुड़े रहेंगे। एक लाख मछुआरा भाइयों को मुफ्त में ट्रांसपॉन्डर देने के लिए सरकार का फैसला है। कई राज्यों में इसका काम शुरू हो गया है। यह हमारे मछुआरे भाइयों को दिया जा रहा है। आज उनको ट्रांसपॉन्डर की सुविधा प्राप्त हो गई।

महोदय, एक सौ कोस्टल विलेजेज को हंड्रेड परसेंट संपोषण के साथ कोस्टल फिशरमैन रेसेलिएन्ट विलेज के रूप में चिन्हृत किया गया है। उनका चयन हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मछुआरे भाइयों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा किट हेतु फंड निर्धारित किया गया है। उनको जीपीएस की सुविधा दी जाती है। उनको लाइफ जैकेट दिया जाता है। डिस्ट्रेस एलर्ट एवं ट्रांसमीटर की सुविधा उनको दी जाती है। उनको सर्च एंड रेस्क्यू बीकेन दिया जाता है। ये सारी सुविधाएं किसके लिए हैं? इन सारी सुविधाओं की व्यवस्था हमारे मछुआरे भाइयों के लिए किया गया है। मछुआरा भाइयों की चिंता मोदी सरकार ने की है। आपकी सरकार ने इतने दिनों तक उनकी चिंता नहीं की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के इसी प्रयास का परिणाम आज दिख रहा है। आप फिश प्रोडक्शन की बात करते हैं।... (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): I have a point of order. ... (*Interruptions*)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: अध्यक्ष महोदय, वेणुगोपाल साहब कह रहे थे कि मछुआरे भाई सुबह जाते हैं, शाम को बिना मछली के आ जाते हैं, उनकी रोजी-रोटी का क्या होगा, वे भूखे मरेंगे। वर्ष 2013-14 तक जब आपकी सरकार थी, 95.5 लाख टन फिश प्रोडक्शन होता था। मोदी जी की सरकार के दस साल के शासन काल में 184.02 लाख टन फिश का प्रोडक्शन हो रहा है। यह प्रोडक्शन कौन कर रहा है? यह प्रोडक्शन हमारे वही मछुआरे भाई कर रहे हैं, जो समुद्र से मछली मार कर लाते हैं। वे देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान करते हैं और अपनी रोजी-रोटी के लिए भी काम करते हैं। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। वर्ष 2013-14 में आपके शासनकाल में 30,212 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होता था। आज वर्ष 2023-24 में 60,523 करोड़ रुपये का एक्स्पोर्ट हो रहा है। इन दस वर्षों में हमने दोगुना एक्सपोर्ट करने का काम किया है।

महोदय, झींगा उत्पादन के बारे में कहना चाहूंगा कि इनके शासनकाल में झींगा उत्पादन 3.22 लाख टन होता था। मोदीजी के शासनकाल में 11.84 लाख टन झींगा का उत्पादन हुआ है। आप कह रहे हैं कि फिशरिज सेक्टर में कोई प्रयास नहीं हुआ है। फिशरमैन पर ध्यान नहीं दिया गया। फिशरमैन नेग्लेक्टेड हैं। फिशरमैन इनडिफरेंस हैं। यह क्या तरीका है? ऐसा नहीं है। आपके जीवीए के बारे में भी बता देता हूं। हमारे जीवीए में फिशरिज सेक्टर का 9.08 परसेंट का रेगुलर ग्रोथ है। वर्ष

2024-15 में जीवीए में 0.844 परसेंट फिशरिज का कंट्रीब्यूशन था। आज यह बढ़ कर 1.12 परसेंट हो गया है। यह हमारी उपलब्धि है। आप कह रहे हैं कि जीवीए में कृषि के ओवरऑल स्थिति क्या है? वर्ष 2014-15 में जीवीए में कृषि का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 5.12 परसेंट था। आज यह बढ़ कर 7.2 परसेंट हो गया है। इसमें 41.79 परसेंट का ग्रोथ है। आपको क्या समझ में आएगा? यह बात आपको समझ में नहीं आएगी। आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है।

(1455/CP/SMN)

अध्यक्ष महोदय, बालू साहब और कई सदस्यों ने श्रीलंका के साथ बात करने की बात कही।…(व्यवधान) श्रीलंका में जो नांवें जब्त होती हैं, जब हमारे मछुआरे भाई श्रीलंका के बार्डर में चले जाते हैं, तब की बात है। …(व्यवधान)

1455 बजे

(इस समय श्री के. सी. वेणुगोपाल, श्री टी. आर. बालू, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि 6 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बने हुए हैं। … (व्यवधान) ऑनरेबल प्रधान मंत्री जी ने भी कई बार इस मामले को उठाया है। … (व्यवधान) विदेश मंत्रालय लगातार इस मामले को उठा रहा है और जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है।… (व्यवधान) उसकी 6 बैठकें हो चुकी हैं।… (व्यवधान) मोदी सरकार में मत्स्य पालन के क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है।… (व्यवधान) मछुआरे भाइयों का उत्थान हो रहा है। उनके उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1456 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की है, वे व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

Re: Increasing demographic change in the country

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : भारत एक विविधता वाला देश है, जहां विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं के लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी 121 करोड़ से ज्यादा है। इसमें 96.63 करोड़ हिंदू और 17.22 करोड़ मुस्लिम हैं। भारत की कुल आबादी में 79.8% हिंदू, 14.2% मुस्लिम और बाकी के 6 प्रतिशत में ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन आदि धर्म के लोग है। पिछले 20 वर्षों में असम समेत पूर्वोत्तर भारत के कुछ प्रदेशों, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ यहां बाहरी आबादी के तेजी से बढ़ने का प्रमुख कारण है। असम में लगभग 34%, पश्चिम बंगाल में 27%, केरल में 26%, उत्तर प्रदेश में 20% और बिहार में 17% मुसलमान है। 1951 में देश में मुसलमानों की आबादी 2.8 करोड़ थी, जो आज 7 गुना बढ़कर 20 करोड़ हो गई है। जबकि हिन्दुओं की आबादी केवल 3 गुना बढ़कर 30 करोड़ से 90 करोड़ हुई है। अत: मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए देश में हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तन और जनसँख्या वृद्धि को रोकने के उपायों को क्रियान्वित किया जाए।

(इति)

Re: Land for proposed establishment of military station in Deoghar, Jharkhand

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Deoghar has been included in the list of prominent cities and has been declared as a mega tourist destination by the Ministry of Tourism, Govt. of India. Deoghar is a unique and extremely revered site of one of the 51 Shaktipeeths and also of Dwadash Jyotirlings in the country. This is a religious and cultural capital of Eastern India and is visited by over 5 crore pilgrims every year. I request for kind consideration of the requirements of land for the proposed Military Station, the area available will be approximately 400 acres which can be reduced or increased once the feasibility is done. The land will be near the ongoing DRDO centre project at Deoghar (Jharkhand); DRDO Lab at Deoghar; Ordinance Factory or any defence infrastructure project at Deoghar; Sainik School at Godda (Jharkhand) and Defence Recruitment Centre at Deoghar. The large parts of the state are affected by Naxalism and terrorism. The spread of Naxalism and terrorism is an indication of the sense of desperation and alienation that is sweeping over the large sections of Jharkhand's Santhal Pargana region, which have been not only been systematically marginalized but also cruelly exploited and dispossessed.

(ends)

Re: Need to facilitate availability of Solar energy based Agricultural equipments to farmers in Balaghat and Seoni in Madhya Pradesh

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : मैं आज बालाघाट और सिवनी के किसानों के लिए सोलर ऊर्जा आधारित कृषि उपकरणों की उपलब्धता पर चर्चा करना चाहती हूँ। यह क्षेत्र कृषि पर निर्भर है, और किसानों को दिन-प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की बढ़ती लागत और निर्भरता के कारण, सोलर ऊर्जा आधारित कृषि उपकरण एक स्थायी और किफायती विकल्प के रूप में उभर कर सामने आए हैं। सोलर पंप, सोलर ड्रायर, सोलर लाइटिंग सिस्टम जैसे उपकरण किसानों को ना केवल लागत में कमी लाने में मदद करते हैं, बल्कि ये पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं। सोलर ऊर्जा की उपयोगिता से किसानों को अपनी फसल की सिंचाई, भंडारण और अन्य कृषि गतिविधियों में सहायता मिलती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है और आय में सुधार होता है। केंद्र और राज्य सरकारें पहले ही कई योजनाओं के माध्यम से सोलर उपकरणों को सब्सिडी और ऋण के रूप में उपलब्ध करवा रही हैं। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि बालाघाट-सिवनी के किसानों के लिए इन उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाई जाए, ताकि किसान सशक्त हों और अपनी कृषि प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और आर्थिक बना सकें।

(इति)

Re: Need for upgradation of power-grids to facilitate implementation of PM-KUSUM and PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana

श्री गणेश सिंह (सतना) : माननीय प्रधान मंत्री जी ने अक्षय-ऊर्जा को बढ़ावा दे कर भारत को विश्व के अग्रणी देशों की पंक्ति में लाने का जो संकल्प लिया है, वह अति-प्रशंसनीय है। उन्होंने प्रधानमंत्री कुसुम योजना और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जैसी महत्वाकांक्षी प्रोग्राम्स के माध्यम से देश के किसानो और आम जनता को लाभान्वित कर गरीबी पर कड़ा प्रहार किया है। यह भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। किंतु, अक्षय ऊर्जा, खास कर सौर और पवन ऊर्जा, दिन के समय कभी-कभी उपलब्ध हो पाती हैं। इस तकनीकी चैलेंज के चलते, पॉवर ग्रिड ऑपरेटर और पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ ग्रिड बैलेंसिंग कठिनाई का सामना कर या तो बिजली-आपूर्ति की दरें बढ़ा रही हैं या सौर-पवन ऊर्जा ख़रीद ही नहीं रही हैं। उपयुक्त ग्रामीण ग्रिड भी कम उपलब्ध हैं इस कारण कुसुम योजना में 2 मेगावाट की लिमिट है। ऐसी ऊर्जा को ग्रिड में समावेशित करने के लिए, ग्रिड-उन्नयन या नए ग्रिड निर्माण का काम अपेक्षित गति से नहीं चल रहा। मेरा आग्रह है शीघ्र ग्रामीण क्षेत्र में पीएम कुसुम और पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के लिए ग्रिड उन्नयन का एक विशिष्ट कार्यक्रम प्रारंभ हो जिसमे, कार्बन मार्केट सहित, अंतरराष्ट्रीय सस्ते क्लाइमेट फाइनेंस को वृहद रूप से उपलब्ध कराने का प्रावधान हो ताकि सभी राज्य इसे तेजी से अपना सके।

(इति)

Re: Railway related issues of Maldaha Uttar Parliamentary Constituency

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर) : मैं माननीय रेल मंत्री महोदय का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र माल्दहा उत्तर (पश्चिम बंगाल) की महत्वपूर्ण रेल आवश्यकताओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तीन नए स्टेशन एकलकखी स्टेशन, सिंगाबाद स्टेशन तथा गाजोल स्टेशन का विकास होने से यात्रियों को आधुनिक सुविधाएँ मिलेंगी, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। मेरे लोकसभा क्षेत्र माल्दहा उत्तर (पश्चिम बंगाल) से बड़ी संख्या में लोग देश के अलग-अलग कोनों में काम करने के लिए जाते हैं। उनकी सुविधा के लिए निम्नलिखित चार नई सुपरफास्ट ट्रेनों की आवश्यकता है— मालदा से नई दिल्ली सुपरफास्ट ट्रेन, मालदा से बेंगलुरु सुपरफास्ट ट्रेन, मालदा से मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन, मालदा से अहमदाबाद सुपरफास्ट ट्रेन। इन ट्रेनों के संचालन से न केवल यात्रियों को सहूलियत मिलेगी, बल्कि क्षेत्र का आर्थिक विकास भी तेजी से होगा। मेरे लोकसभा क्षेत्र के चहुंमुखी विकास हेतु निम्नलिखित तीन रेल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाए— बुलबुलचंडी से गंगारामपुर (वाया पकुवाहाट) गाजोल से गुंजोरिया (वाया ईटाहार) समसी से बारसोई (वाया चांचल) ये तीनों परियोजनाएँ क्षेत्र के यातायात और व्यापार में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती हैं। नई रेल लाइनों के निर्माण से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

(इति)

Re: Need to establish a Convention Centre in North-West Delhi Parliamentary Constituency

श्री योगेन्द्र चांदोलिया (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में एक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने द्वारका में भव्य यशोभूमि का निर्माण किया है, जो विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। इस प्रतिष्ठित परियोजना से प्रेरित होकर, मुझे दृढ़ता से लगता है कि निर्वाचन क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तर पश्चिमी दिल्ली में भी इसी तरह के कन्वेंशन सेंटर की आवश्यकता है। यह केंद्र न केवल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एक मंच प्रदान करेगा, बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा, रोजगार के अवसर पैदा करेगा और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगा। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में एक कन्वेंशन सेंटर के निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे यहां के निवासियों को बहुत लाभ होगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए तत्काल आवश्यक भूमि और धनराशि आवंटित की जाए।

(इति)

Re: Need to establish a Sports Complex in Vicharpur in Shahdol Parliamentary Constituency

श्रीमती हिमाद्री सिंह (शहडोल) : मेरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र शहडोल (मध्य प्रदेश) आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है।माँ,नर्मदा,सोंन,जोहिला जैसी विशाल नदियों के उद्गम स्थल अमरकंटक के सुरम्य वनों में क्षेत्र विस्तारित है।विश्व के लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का शहडोल में जुलाई 2023 में प्रवास हुआ था,माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्षेत्र के फुटबाल खिलाडियों से संवाद करते हुए पूछा आप लोग कहाँ से है,खिलाडियों ने उत्तर दिया हम मिनी ब्राज़ील से हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र का ग्राम विचारपुर मिनी ब्राज़ील के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ के हर घर में फुटबॉल खिलाड़ी हैं व 3-4 पीढ़ी से खेलते आ रहे हैं।माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में पॉडकास्ट के अपने साक्षात्कार में भारत के इस मिनी ब्राज़ील का उल्लेख किया,जिसके लिए क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ। विचारपुर तथा उसके आस-पास के ग्रामों के युवा अनेक खेलों में रूचि रखते हैं,किन्तु सुविधा युक्त खेल स्टेडियम न होने से इनकी प्रतिभा को उचित दिशा नहीं मिल पाती मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि विचारपुर में एक सर्व सुविधा युक्त स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाए, जिसमे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कब्बड्डी ,क्रिकेट आदि खेलों का प्रशिक्षण,अभ्यास की सुविधाएं,राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ आयोजित कराने की व्यवस्था हो।

(इति)

Re: Need to establish Indoor Stadium in Sandila/Bilhaur in Misrikh Parliamentary Constituency

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख) : मैं केंद्र प्रायोजित "खेलो इंडिया योजना" की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । जिसका उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और खेल उत्कृष्ट प्राप्त करना है। जिससे लोग इसके व्यापक प्रभाव के माध्यम से खेलकूद की क्षमता का उपयोग कर सकें। खेलो इंडिया कार्यक्रम में खेल के मैदान का विकास करना सामुदायिक खेलों को बढ़ावा देना, ग्रामीण और स्वदेशी खेलों के साथ-साथ स्कूल और विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर एक मजबूत खेल प्रतियोगिता संरचना की स्थापना, दिव्यांगजनों के लिए खेल तथा महिला खेल तथा महिला खेल और स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस अभियान का कार्यान्वयन करना शामिल है। मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, खेलो इंडिया योजना से खेल के बुनियादी ढांचे और खेल के मैदान की सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र के संडीला में ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों का विकास होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हरदोई जिला के संडीला/बिल्हौर को “खेलो इंडिया योजना” के तहत शामिल किया जाए एवं इस योजना के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख के संडीला/बिल्हौर में एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(इति)

Re: Need to provide stoppage to trains at Ren Railway Station in Rajsamand Parliamentary Constituency

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ (राजसमन्द) : मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमन्द राजस्थान के अतर्गत आने वाले रेण स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है परन्तु यहाँ ट्रेनों के कम स्टॉप हैं | यह स्थान मीरामाई की नगरी मेड़तासिटी और श्री संत चतुरदास जी का बुटाटी धाम के निकट है | जहाँ मीरामाई के स्थान के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्त आते हैं वहीँ बुटाटी धाम में लकवा से ग्रसित मरीज भी इलाज के लिए बड़ी संख्या में आते हैं | परन्तु रेण स्टेशन में ट्रेनों का स्टापेज न होने के कारण आवागमन में भारी असुविधा होती होती है अत: आपके माध्यम से मेरी मांग है कि निम्नलिखित ट्रेनों का स्टाप रेण रेलवे स्टेशन पर किया जाये:-

1-JAT BDTS EX 19027/28
2-HSR BDTS SF 22915/16
3-RUNICHA EX 14087/88
4-BVS HW EX 19271/72
5-SALASER EX 22421/22

(इति)

Re: Sanction of new railway projects in Chhattisgarh

श्री विजय बघेल (दुर्ग) : छत्तीसगढ़ प्रदेश में मेरे लोकसभा क्षेत्र दुर्ग (मध्य प्रदेश) से होकर गुजरने वाले नवीन रेलवे लाईन परियोजनाएं यथा - रावघाट रेलवे स्टेशन से जगदलपुर (व्हाय- दुर्ग, दल्लीराजहरा, रावघाट, कोण्डागांव, बस्तर) तक, 2. दुर्ग रेलवे स्टेशन से बेमेतरा तक 3. खरसिया-बलौदाबाजार-नवा रायपुर-पाटन-सेलूद-मचान्दुर-रिसामा-दुर्ग नवीन रेल परियोजना की स्वीकृति हेतु क्षेत्र की जनता द्वारा समय-समय पर मांग की जाती रही है। जिसको स्वीकृत किया जाना आम जनता एवं क्षेत्र के विकास हेतु अत्यन्त आवश्यक है।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त रेल परियोजनाओं की स्वीकृति एवं निर्माण हेतु शीघ्र आवश्यक कदन उठाए जाएं।

(इति)

Re: Need to develop Sitabinj in Keonjhar district, Odisha as a tourist place

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान ओडिशा के क्योंझर जिले में स्थित सीताबिंझ (Sitabinj) के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह स्थल न केवल पुरातात्विक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। सीताबिंझ अपने प्राचीन गुफा चित्रों और शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है, जो लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी के गुप्तकालीन माने जाते हैं। यहाँ की रावण छाया गुफा (Ravan Chhaya Rock Shelter) एक विशाल शिलाखंड है, जिसके नीचे प्राचीन भित्ति चित्र उकेरे गए हैं। यह क्षेत्र प्राचीन जैन और बौद्ध संस्कृति से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। यह स्थान राज्य और केंद्र सरकार की पर्यटन योजनाओं के तहत संरक्षित किया जाए साथ ही, यहाँ तक सड़क संपर्क और अन्य बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सीताबिंझ को एक संरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु विशेष योजना बनाई जाए, जिससे यहाँ के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित किया जा सके और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिले।

(इति)

Re: Need to improve flight connectivity to Kanpur

श्री रमेश अवस्थी (कानपुर) : मैं माननीय नागरिक उड्यन मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र कानपुर उत्तर प्रदेश की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक, शैक्षिक और व्यावसायिक केंद्र है, जहां आईआईटी कानपुर, कई बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ और व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थित हैं। इसके बावजूद, कानपुर एयरपोर्ट से वर्तमान में उड़ानों की संख्या बेहद कम है इससे यहाँ के व्यापारियों, छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और पर्यटकों को यात्रा में असुविधा का सामना करना पड़ता है।मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है की कानपुर के औद्योगिक विकास के लिए कानपुर से कलकत्ता, अहमदाबाद, चेन्नई, जम्मू, पुणे, अमृतसर, मुंबई के अलावा नियमित कानपुर से सुबह शाम कानपुर से दिल्ली एक अतिरिक्त फ्लाइट तथा बनारस और अयोध्या के लिए साप्ताहिक फ्लाइट चालू की जाये, कानपुर हवाई अड्डे की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए, मुझे विश्वास है कि माननीय उड़यन मंत्री जी इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को प्राथमिकता देंगे और कानपुर को बेहतर हवाई सेवाएँ प्रदान करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएँगे।

(इति)

Re: Need for introduction of graded front of pack nutrition label and 'health tax' on sugary beverages and ultra-processed junk foods

SHRIMATI DAGGUBATI PURANDESWARI (RAJAHMUNDRY): I wish to draw the attention of the Government to the rising incidence of obesity, diabetes, and non-communicable diseases in India, driven largely by high consumption of sugar-sweetened beverages and junk foods. Countries like the UK, Singapore, Thailand, and Malaysia have successfully introduced sugar taxes and front-of-pack labelling systems like Nutri-Grade to curb sugar consumption. For example, Singapore's Nutri-Grade label mandates colour-coded grading (A to D) based on sugar content, and prohibits advertising of drinks with a 'D' grade. Preliminary data from Singapore shows a reduction in the median sugar level of packaged drinks from 7.1% in 2017 to 4.7% in 2021, and an increase in the sale of healthier A and B grade drinks. The UK's sugar levy has reduced sugar levels by 28.8% and is estimated to prevent over 5,000 cases of obesity annually among schoolgirls. India must urgently adopt a similar strategy and I urge the Government to introduce a graded front-of-pack nutrition label, levy a 'health tax' on sugary beverages and ultra-processed junk foods, and set mandatory limits on sugar and salt content in packaged items, as recommended by the Economic Survey. These steps are essential to protect the health of our young population and reduce the burden on public health systems.

(ends)

Re: Need for a 100-bedded ESI Hospital in Karur district, Tamil Nadu

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): I stand before you today to highlight an urgent issue concerning the welfare of Employees' State Insurance (ESI) beneficiaries in Karur district. As the fourth largest exporter of textiles in the country, Karur plays a vital role in India's economy, with around 65,000 ESI beneficiaries in the region. Currently, Karur only has an ESI dispensary, not a hospital. Beneficiaries are forced to travel to neighbouring districts like Trichy and Salem for ESI medical services. This is a hassle since most of the labour force consists of women and economically disadvantaged individuals. After my repeated efforts, the Ministry of Labour and Employment approved a 30-bed ESI hospital in Karur based on an initial estimate of around 30,000 beneficiaries. However, this number has significantly increased over time. As it stands, we have the eligibility for a 100-bed ESI hospital. I urge the Honourable Minister of Labour and Employment to approve the establishment of a 100-bed ESI hospital in Karur. This will provide much-needed healthcare access to the local workforce, reduce travel-related hardships, and improve the overall well-being of the community. (ends)

Re: Need to release the Pink Book (2025-2026) of Indian Railways

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): The Indian Railways has not yet released the 'Pink Book' for 2025-26 even after 50 days the Union Budget was presented. The Pink Book is the major document which provides details on the allocation of funds for various projects, expenditures for safety and maintenance activities, infrastructure development and investments in doubling and new line projects. It is the blueprint for Railway zones to plan the projects for the next financial year. While the sanctioned works are long pending the delay in the release of Pink Book is not justifiable. The unusual delay has created problem for project planning and execution for the zonal railways. Pink Books are usually released within a few days, ever since the railway budget was integrated into the general budget in 2017. I request the Government to look into the matter and take necessary action at the earliest.

(ends)

Re: Need to construct a Washing Pit Line at Bandikui Junction in Rajasthan

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा) : यात्रियों की सुविधा और भारतीय रेलवे के कुशल संचालन के लिए बांदीकुई जंक्शन पर वाशिंग पिट लाइन का निर्माण किया जाए। बांदीकुई जंक्शन ब्रिटिशकालीन है। अभी ट्रेनों की धुलाई के लिए भिवानी पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे ट्रेनों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। बांदीकुई रेलवे जंक्शन पर 700 बीघा से अधिक रेलवे की भूमि उपलब्ध है, जिसमें से केवल 10% का उपयोग हो रहा है। पहले, मीटर गेज लाइन के दौरान यहाँ वाशिंग पिट लाइन की सुविधा थी। यदि बांदीकुई जंक्शन पर वाशिंग पिट लाइन का निर्माण किया जाता है, तो मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों की सफाई और मरम्मत का कार्य अधिक कुशलता और तेजी से हो सकेगा जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी। बांदीकुई एक कस्बा होने के कारण रेलवे को अपने कर्मचारियों को सिटी अलाउंस देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, वाशिंग पिट लाइन की सुविधा उपलब्ध होने से ट्रेनों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे यात्रियों को जयपुर, आगरा, दिल्ली, मुंबई और अन्य बड़े शहरों के लिए अधिक ट्रेनों की सुविधा मिल सकेगी। यह निर्णय पूर्वी राजस्थान के कई जिलों की जनता के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगा और रेलवे के संचालन को अधिक प्रभावी एवं कुशल बनाएगा।

(इति)

Re: Need to construct underpasses/overbridges on the stretch of National Highway No. 66 from Edappally to Moothakunnam in Kerala

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): I bring attention to the NH 66 expansion project from Kasargodu to Trivandrum, specifically the significant stretch from Edappally to Moothakunnam. Local residents are protesting, demanding adequate infrastructure for safe crossing of the highway. I urge to provide sufficient underpasses and overpasses, engage with local communities to address concerns. It's our responsibility to ensure infrastructure development prioritizes local communities' safety and well-being.

(ends)

Re: Establishment of a multi-specialty ESIS Hospital in Latur, Maharashtra

DR. SHIVAJI BANDAPPA KALGE (LATUR): I take this opportunity to draw the attention of the Hon'ble Minister of Labour and Employment to establish multi-specialty ESIS Hospital in Latur (Maharashtra) for providing medical care facility to a large number of workers and their families. Latur has as many as 937 odd companies engaged in various products/commodities where thousands of workers are employed who are devoid of proper medical facilities. They are demanding to have an ESIS hospital at Latur. I earnestly request the Hon'ble Minister to explore the possibility of establishing an ESIS hospital at an appropriate location in Latur which will go a long way in mitigating the workers' long-standing demands.

(ends)

Re: Need to address the issues of farmers in Banda Parliamentary Constituency

श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल (बांदा) : बुंदेलखंड का सारा क्षेत्र कृषि आधारित है। मैं बांदा चित्रकूट से चुनकर आती हूँ तथा मेरे संसदीय क्षेत्र में आर्थिक रूप से टूटा हुआ किसान मौत को गले लगाने में विवश है तथा अगर देखा जाए तो देशभर में बुंदेलखंड में ही किसानों की आत्महत्या के आंकड़े सबसे अधिक है। आज कृषि को लेकर सरकारों की संवेदनहीनता और स्थानीय अन्ना प्रथा सिंचाई के साधनों की कमी और फसल का उचित मूल्य न मिलना जैसी चुनौतियां भी हैं। सरकार ने अन्ना प्रथा की रोकथाम के लिए ग्रामीण गोशालाओं का निर्माण कराया किंतु स्थानीय प्रशासन की ओर से वांछित कदम न उठाए जाने से यह योजना भी आंकड़ों तक सीमित होकर रह गई है। मेरे गृहनगर बबेरू के ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों आहार, बड़ागांव, पल्हरी, देवरथा, पंडरी आदि के ग्रामीणों द्वारा एक वीडियो मेरे कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है जिसमें लगभग 500 अन्ना गोवंश पकी हुई फसल रौंदते हुए बर्बाद कर रहे हैं जिससे किसानों की आय दोगुना होने का सपना गौवंश द्वारा रौंद दिया गया है। एक और समस्या यह है कि आज भी एक्सप्रेस पर दौड़ते भारत के किसान के खेत तक पहुंचना आसान नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र में पर्याप्त सिंचाई के साधन नही हैं तथा सिचाई हेतु स्थापित नलकूपों को मुफ्त बिजली देने के वादे पर सरकार खरी नहीं उतर पाई तथा विद्युत आपूर्ति मात्र 8 घंटे कर दी गई है। किसानों का कर्ज एवं फसल का उचित दाम न मिलना भी बहुत ही बड़ी समस्या है।

(इति)

Re: Need to set up a market place (Mandi) for sale-purchase of Green Peas in Etah Parliamentary Constituency

श्री देवेश शाक्य (एटा) : मैं आप के माध्यम से सरकार का ध्यान एटा और कासगंज जिले में मटर मंडी स्थापित करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ हमारे क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान मटर की खेती करते हैं लेकिन उन्हें अपनी फसल उचित मूल्य पर बेचने के लिए दूरदराज के बाजारों में जाना पड़ता है इससे श्रम और परिवहन लागत बढ़ जाती है और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता गोविंदपुरा और गजंडुंडवारा मे मटर मंड़ी स्थापित करने से न केवल किसानों को सीधा लाभ होगा बल्कि स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। मंडी में भंडारण प्रसंस्करण और विपणन सुविधाएं उपलब्ध होने से बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। अत: मैं संबंधित मंत्रालय से आग्रह करता हूँ कि मोहनपुरा में मटर मंडी और गजंडुंडवारा में सब्जी मंडी की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि किसानों और स्थानीय युवाओं को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।

(इति)

Re: Need for clarity on Over The Top (OTT) regulation Framework

SHRIMATI JUNE MALIAH (MEDINIPUR): I rise today to bring to the attention of the Government about ongoing consultation on the regulation of Over-The-Top (OTT) platforms. With the rapid expansion of digital content consumption, OTT platforms have become a crucial part of our media and entertainment ecosystem, offering diverse content to millions of viewers. However, recent discussions on potential regulations raise concerns regarding freedom of expression, creative independence, and ease of doing business in the digital sector. While it is important to ensure responsible content dissemination and safeguard users from harmful material, excessive regulation may stifle innovation and restrict consumer choice. I urge the Government to provide clarity on the objectives of this consultation, ensure a balanced approach that safeguards creative freedom while addressing legitimate concerns, and engage with all stakeholders-including content creators, digital platforms, and consumer rights groups-before finalizing any regulatory framework. This matter requires urgent attention to ensure that any policy decision does not hamper India's thriving digital economy and aligns with global best practices. (ends)

Re: Need to declare Ramgarh, Lalgarh & Chilkigarh Rajbaris in Jhargram Parliamentary Constituency as heritage sites

SHRI KALIPADA SAREN KHERWAL (JHARGRAM): The Ramgarh Rajbari, Lalgarh Rajbari and Chilkigarh Rajbari located in my Jhargram Parliamentary Constituency are iconic landmarks that embody the rich cultural and architectural legacy of the region. These Rajbaris are not only steeped in historical significance but also stand as enduring symbols of the grandness and traditions of the area. Their preservation and development as heritage sites hold immense potential for protecting the legacy of Jhargram while boosting tourism. The Ramgarh Rajbari was the centre of the Ramgarh Raj Ram Singh during the Nawab Alibardi Khan era, showcases a unique blend of Indian architecture, reflecting its role as a key administrative center. The Lalgarh Rajbari is renowned for its intricate designs and royal families, making it a symbol of regal history. And the Chilkigarh Rajbari, associated with the Jamboni Zamindar Dhabal Deb dynasty, dates back 450 years and features the nearby Kanak Durga Temple, offering opportunities for combined heritage and pilgrimage tourism. Therefore, declaring these Rajbaris as heritage sites and allocating funds for their restoration will preserve their architectural brilliance and attract tourists across the country. I urge the Central Government to take immediate steps to conserve these estates to safeguard the historical essence of Jhargram while promoting its tourism potential. (ends)

Re: Need for tax exemption on packaged rice and rice bran in Tamil Nadu

SHRI K. E. PRAKASH (ERODE): Our Tamil Nadu Government is performing very well in the government cooperative sector in Tamil Nadu. But the Union Government is imposing a 5% GST on rice cakes packed in 1kg to 25kg packages, burdening the poor. Similarly, the Union Government has imposed a 5% GST on rice bran, which is the food for Tamil Nadu cows. About 64% of the GST tax collection comes from the common people; 33% from the middle class and only three% from the super rich.

On behalf of the Tamil Nadu Government, I request the Ministry of Finance to explain the 5% tax imposed by the Union Government on the people, which is a huge burden.

I would like to once again urge the Union Government to explain the 5% GST imposed on the common man on packaged rice and bran used for cow feed. (ends)

Re: Need to provide Health/Life Insurance coverage to Sanitation workers of the country

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): The Jan Bhagirathi initiative along with the Swachh Bharat Abhiyan, has been instrumental in realizing Mahatma Gandhi's vision of Gram Swaraj. However, it is disheartening to note that a significant number of sanitation workers are still not receiving their rightful compensation. These workers are employed at various levels, including local self-Governments and organizations such as Indian Railways, with many being hired on a contractual basis, often without their contracts being honored. In addition to the social stigma they face, these workers are also subjected to economic hardships. There are numerous instances where their payments are delayed, with many local self-Governments failing to fulfill their financial obligations to those who contribute to the cleanliness of our villages and cities. Cleanliness is akin to godliness, and it is imperative that we show the utmost respect and reverence to the men and women who maintain the hygiene of our urban and rural areas, including organizations like Indian Railways. I urge the Government to pay special attention to our sanitation workers by providing them with health insurance coverage of at least 10 lakhs, personal accident insurance of 50 lakhs, and life insurance of 50 lakhs.

(ends)

Re: Need to construct school building for Kendriya Vidyalaya in Banka, Bihar

श्री गिरिधारी यादव (बांका) : राज्य के मेरे संसदीय क्षेत्र अन्तर्गत बांका जिला मुख्यालय है। बांका अत्यंत पिछड़ा जिला है। यहाँ पर केन्द्रीय विद्यालय विगत 15 वर्षों से बिना भवन का हीं चल रहा है और केन्द्रीय विद्यालय भवनहींन रहने से इस क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को केन्द्रीय विद्यालय की पढ़ाई का लाभ ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा है और बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पडता है। केन्द्रीय विद्यालय में भवन बन जाने से छात्र-छात्राओं की परेशानियां दूर हो जएगी। बिहार सरकार के द्वारा जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है। अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द केन्द्रीय विद्यालय, बांका का भवन निर्माण करायें। (इति)

Re: Need to provide free treatment and medicines to the children suffering from Type-1 diabetes in the country

SHRI RAJABHAU PARAG PRAKASH WAJE (NASHIK): I want to bring attention to the serious issue of Type 1 Diabetes in children. This is a lifelong disease where the child needs 4–5 insulin injections every day to survive. Along with this, they need to check their blood sugar regularly. In India, about 2.5 lakh children are living with this condition. In Maharashtra alone, over 1,400 children in Nashik and 1,500 in Sambhaji Nagar are receiving care in private clinics. Sadly, Government hospitals do not provide free insulin, sugar testing strips, or any special OPD services under schemes like Mahatma Phule Jan Arogya Yojana (MPJAY). This creates a big burden on poor families who cannot afford the high cost of treatment. That's why I request to the Central Government to kindly take the following steps: Provide free insulin and test strips at all Government hospitals. Appoint child diabetes doctors at district hospitals. Remove GST on insulin, test strips, and related supplies. Give disability certificates to these children, so they can get extra help. This will help save lives and reduce suffering for thousands of children and their families. (ends)

Re: Recent revision of text-books

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): It is quite unfortunate that recent revision of Indian textbook have sparked debate on the secular nature of country's education system under this regime. Omission of Mughal history, removing the chapters discussing democracy, secularism and citizenship from the textbook of political science is another example. It goes without saying that the politicisation of the education can polarize the society. Contribution of different community should be an integrated part of the history text books in which there is an omission about the role of Muslims. In brief the recent textbook revision have raised significant concerns about the potential shift away from India's secular education framework, highlighting the complex interplay between education, politics and national identity. (ends)

Re: Need to give environment clearance for construction of Mawana-Makdumpur road in Bijnor Parliamentary Constituency

श्री चंदन चौहान (बिजनौर) : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हस्तिनापुर के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की ओर आकर्षित करना वाहता हूँ। हस्तिनापुर, जो महाभारत काल में राजधानी थी, भारतीय संस्कृति और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर, आश्रम और अन्य धार्मिक स्थल स्थित है, जो इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाते हैं। हस्तिनापुर में स्थित प्रमुख स्थलों में पांडेश्वर मंदिर, कर्णेश्वर मंदिर, द्रोणाचार्य आश्रम, और जैन धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल शामिल हैं। इन स्थलों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है, और यहाँ देशभर से श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि बिजनौर लोक सभा की हस्तिनापुर विधान सभा के मवाना से मकदूमपुर मार्ग, जो लगभग 13 किमी है, मुख्य सड़क है जिससे सभी तीर्थ यात्री गुजरते है, अतः इसके पुन निर्माण हेतु वन विभाग की अनापत्ति पत्र की आवश्यकता है। इस सांस्कृतिक धरोहर के विकास के लिये क्या केंद्रीय वन विभाग जनहित में अनापत्ति पत्र जारी कर रहा है? अगर नहीं तो में जल्द से जल्द यह अनापत्ति पत्र जारी कर इस सड़क का पुनः निर्माण करवाने का निवेदन करना चाहता हूँ।

(इति)

Re: Need to protect the interests of people facing demolition of their houses in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : हमारा प्रदेश दादर और नागर हवेली और दमन और दीव छोटा प्रदेश है जो एक तरह से समुद्र की गोद में बसा हुआ है, जहां CRZ, आर्कियोलॉजी,फोरेस्ट, एयरपोर्ट का फ़नल जैसी विविध समस्याओं में मुश्किल से लोगों ने अपने घर मकान दूकान बनाए हैं, उन मकानों के नंबर भी सरकारी विभाग़ से मिले हुए है जिनका हाउस टैक्स भी जमा कराया जाता है, यही हाउस नंबर पर उन्हें लाइट तथा पानी सहित सारी सुविधायें सरकार इसी एड्रेस पर दे रही है। जानकारी के अभाव के चलते पुराने समय मकान बनाते वक्त मकान के प्लान सहित की जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी साथ ही जब हमारे प्रदेश में उद्योगों स्थापित हुए थे तब उद्योग में काम करने वाले पर-प्रांतीय लोगों ने उस समय की मांग के अनुसार मकान बना दिए गए। पंचायतों ने भी मौखिक स्वीकृति दी थी तो उन मकानों, दुकानों को हाउस नंबर मिले हैं तथा उनका हाउस टैक्स भी भरा जाता है। अब हमारा प्रशासन सालों साल पहले बने मकान जिनमें कुछ तो पुर्तगाली समय से बने हुए हैं, को तोड़ने के लिए नोटिस दे रहा है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि उस समय की मांग के अनुसार बनाए गए मकानों, दुकानों को लीगल किया जाए और हमारे प्रदेश के लोगो के भविष्य की रक्षा करने की कृपा करें।

(इति)